HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **सुमेरपुर** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-368/2022 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में** सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय **गैंगस्टर कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **नाते उर्फ नाटे उर्फ शिवलाल पुत्र मेघीलाल पासी** निवासी ग्राम हुसैनगंज जनपद फतेहपुर को दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

	अभियोजक- एडीजीसी सुशील कुमार त्रिपाठी		विवेचक- उ0नि0 प्रह्लाद सिंह		पैरोकार- थाना सुमेरपुर का0 शुभम यादव